जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति   दिनांक 21.05.2024

प्रेस नोट

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 21.05.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने एवं उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है । गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।थाना कोतवाली पुलिस द्वारा वांछित चल रहे अभियुक्त सूरज को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है ।

ज्ञात हो कि दिनांक 14.02.2024 को थाना कोतवाली शामली क्षेत्रान्तर्गत नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने के संबंध में पीड़िता के परिजन द्वारा थाना कोतवाली शामली पर अज्ञात के विरुद्ध लिखित तहरीर दाखिल की गई थी । दाखिला तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.रवि उर्फ अकुल पुत्र सुनील शर्मा निवासी ग्राम जगनपुर पोस्ट ग्राम कण्डेला थाना कैराना जनपद शामली ।

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने व सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

आज दिनांक 21.05.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने व सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा अभियुक्तगण आसिफ, नाजिम व बिलाल को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा चुका है।

ज्ञात हो कि दिनांक 22.04.2024 को थाना कोतवाली शामली क्षेत्रान्तर्गत नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने के सम्बन्ध में परिजन द्वारा थाना कोतवाली शामली पर नामजद लिखित तहरीर दाखिल की गई थी। दाखिला तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. आरिफ पुत्र कय्यूम निवासी ग्राम हरसौली थाना शाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर।

थाना कैराना पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल व चोरी की गई मोटर साइकिल के पार्टस बरामदः-

दिनांक 21.05.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध वाहन/व्यक्ति की चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों को चोरी की 01 मोटरसाइकिल व चोरी की गई मोटर साइकिल के पार्टस सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 18.03.2024 को वादी श्री हाकम अली पुत्र मौ0 असलम निवासी मौहल्ला आलखुर्द निकट गन्दराऊ रोड़ कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली की मोटरसाइकिल हीरो स्प्लैण्डर UP19K2476 को अज्ञात चोरों द्वारा चोरी करने के सम्बन्ध में थाना कैराना पर तहरीर दाखिल की थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 18.05.2024 को वादी श्री बुच्चासिंह पुत्र देशराज निवासी ग्राम जगनपुर थाना कैराना जनपद शामली की मोटरसाइकलि हीरो स्प्लेन्डर प्लस UP19E3887 को अज्ञात चोरों द्वारा चोरी करने के सम्बन्ध में थाना कैराना पर तहरीर दाखिल की थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत किया गया था

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1.फारूख उर्फ शाहरुख पुत्र अलीमुद्दीन निवासी मौहल्ला नई बस्ती खैलकलां थाना कैराना जनपद शामली।

2.जफर पुत्र यूनुस निवासी मौहल्ला खैलकला ईदगाह के पास कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त फारूख उपरोक्तः-

1.मु0अ0स0 173/2023 धारा 379/411 भादवि थाना कैराना शामली।

2.मु0अ0स0 175/2023 धारा 414 भादवि थाना कैराना शामली।

3.मु0अ0स0 212/2024 धारा 379/411 थाना कैराना जनपद शामली।

4.मु0अ0स0 127/24 धारा 379/411 भादवि थाना कैराना जनपद शामली।

5.मु0अ0स0 269/24 धारा 379/411 भादवि थाना कैराना जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त जफर उपरोक्तः-

1.मु0अ0स0, 127/24 धारा 411 भादवि थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.चोरी हुई 01 मोटर साईकिल हीरो स्पलेण्डर प्लस रजि नं0 UP 19E 3887 ।

2.चोरी हुई मोटर साइकिल के पार्टस (दो मोटर साइकिल के व्हील मय टायर, 02 शोकर, 01 मो0सा0 की पीछे की नम्बर प्लेट जिस पर UP 19K 2476 अंकित है) ।

थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 चोर गिरफ्तार, कब्जे से ट्यूबवेलों से चोरी किया गया बिजली का केबिल बरामदः-

ज्ञात हो दिनाँक 10/11.03.2024 की रात्रि में थाना कैराना क्षेत्रान्तर्गत मामापुर फार्म के निकट ट्यूबवेलों से बिजली का केबिल चोरी करने के मामले में दिनाँक 12.03.2024 को वादी श्री सचिन पुत्र कुलदीप सिंह निवासी मौहल्ला आलकलां कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली ने स्वयं की व अपने पडोसियों की ट्यूबवेलों से बिजली के केबिल की चोरी करने के मामले में अज्ञात चोरों के विरुद्ध तहरीर दाखिल की थी। दाखिल तहरीर के आधार पर थाना कैराना पर अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 21.05.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग व चोरों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 चोर को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। जिसके कब्जे उपरोक्त चोरी की घटनाओं का सामान बरामद हुआ है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.इनाम उर्फ सोनू पुत्र नसीर निवासी नई बस्ती काजी का बाग कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1. प्लास्टिक कट्टा 01 (जिसमें चोरी का बिजली का केबिल है।)।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में अवैध हथियार के मामले में 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय कैराना, शामली द्वारा सुनाई जेल में बिताई गई अवधि के कारावास की सजा व 8,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गयाः-

वर्ष 1992 में अभियुक्त 1.धर्मेन्द्र पुत्र ओमप्रकाश निवासी मगंलपुर मजरा बीबीपुर हटिया थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 233/92 धारा 25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 21.05.2024 को माननीय न्यायालय CJSD/ACJM कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 25 आयुध अधिनियम में सुनाई जेल में बिताई अवधि व 8,000/- रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

नाम व पता अभियुक्तः-

1.धर्मेन्द्र पुत्र ओमप्रकाश निवासी मगंलपुर मजरा बीबीपुर हटिया थाना कैराना जनपद शामली।